

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-21/2013- 82 (आवंटन) /कृ., पटना, दिनांक 06-08-2013

MAIL/FAX

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

विषय : मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार तथा बीज ग्राम की समेकित राज्य योजना तथा केन्द्रीय बीज ग्राम योजना की स्वीकृति एवं इसके अधीन मुख्यमंत्री तीव्र बीज तथा बीज ग्राम की समेकित राज्य योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 239.48 लाख रुपये (दो करोड़ उनचालिस लाख अड़तालीस हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप तत्काल व्यय हेतु कुल ₹1,07,48,000 (एक करोड़ सात लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-2699 दिनांक-22.05.2013 द्वारा मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार तथा बीज ग्राम की समेकित राज्य योजना तथा केन्द्रीय बीज ग्राम योजना की स्वीकृति एवं इसके अधीन मुख्यमंत्री तीव्र बीज तथा बीज ग्राम की समेकित राज्य योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 239.48 लाख रुपये (दो करोड़ उनचालिस लाख अड़तालीस हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। पूर्व में विभागीय पत्रांक-33 (आवंटन) दिनांक-06.06.2013 द्वारा ₹1,32,00,000 की राशि आवंटित की जा चुकी है। पुनः व्यय हेतु कुल ₹1,07,48,000 (एक करोड़ सात लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त कुल ₹1,07,48,000 (एक करोड़ सात लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-01, उपशीर्ष-0116 बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम विपत्र कोड P2401007890116, राज्य योजना, स्कीम कोड-AGR 5017 विषयशीर्ष- 33 01 सब्सिडी" में वर्ष 2013-14 के लिए उपबंधित 400.00 लाख रुपये में से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

पटना

विश्वासभाजन

(15/08/13)
(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

82 (आवृत्त)

/कृ., पटना, दिनांक 06-08-2013

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(155/028/13)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

82 (आवृत्त)

/कृ., पटना, दिनांक 06-08-2013

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग बिहार, पटना/सम्बन्धित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/सम्बन्धित जिला कृषि पदाधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/ निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(155/028/13)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -

82 (आवृत्त)

/कृ., पटना, दिनांक 06-08-2013

प्रतिलिपि :- उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सुगत

(155/028/13)

सरकार के संयुक्त सचिव।